14 फारम संख्या 562

कार्यालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

बैजनाथ महतो प्रथम पक्ष

आदेश पत्रक

बनाम नाजीर मियाँ द्वितीय पक्ष

पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० .... से .... तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या 73 सन् 2022

धारा 144 द०प्र०स०

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	आवेदक/आवेदिका – बैजनाथ महतो पिता स्व0 बंधु महतो, ग्राम – खरखरी, टोला – खुटाटांड, थाना – बिरनी, जिला – गिरिडीह. द्वारा दं0 प्र0 स0 कि धारा 144 के अन्तर्गत विवादित भूमि मौजा – खरखरी खाता सं0 – 44, प्लॉट नं0 – 2021 रकबा – 79 1/2 डी0, चौहदी उ0 – बंधु महतो, दं0 – नाजीर मियॉं, पू0 – नीज विपक्षी, पं0 – सरकारी सडक, में भू–विवाद के कारण निषेधाज्ञा लागू करने हेतु आवेदन दिया गया है। प्रप्त आवेदन पर जॉच/मंतव्य अंचल अधिकारी बिरनी /थाना प्रभारी बिरनी से मांगे। अभिलेख दिनांक 16/6/22 को उपस्थापित करें। [signature]	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
28/7/22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। To 4/08/22 [illegible] 28/7	
28/7/22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के द्वारा निषेधाज्ञा के उल्लंघन की सूचना द्वितीय पक्ष के द्वारा करने की की गई है तथा उनके विरुद्ध 188 भा०द०वि० के अंतर्गत कार्यवाई करने का अनुरोध किया गया है। आवेदन के प्रति थाना प्रभारी, बिरनी को भेजें तथा प्रतिवेदन मांगें। अभिलेख निर्धारित तिथि को रखें। [illegible] 28/7	
4/8/22	प्रथम पक्ष वकालतन हाजिर। द्वितीय पक्ष अनुप०। अभिलेख दिनांक 25/8/22 को रखें।	
25/8/22	प्रथम पक्ष अनुप०। द्वितीय पक्ष वकालतन हाजिर। द्वितीय पक्ष द्वारा SC दाखिल। To [illegible]/09/22 [illegible] 25/8	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
3/9/22	उभय पक्ष उपस्थित। प्रश्नगत वाद मौजा-खरखरी के खाता-44, खेसरा-2021, रकबा-79½ डी. पर लाया गया है जो सर्वे खतियान के अनुसार गैर मजरूवा खास खाते की है। उभय पक्षों के पूर्वज को प्रश्नगत भूमि पूर्व जमींदार से सादा हुकुमनामा से हासिल है तथा अंचल कार्यालय बिरनी में पंजी-II में मौजा कायम है। प्रश्नगत वाद उभय पक्षों के बीच बँटवारा को लेकर लाया गया है। उभय पक्षों के बीच वर्ष 2000 में घरेया बँटवारा हुआ था जिसकी प्रति अभिलेख में संधारित है। थाना प्रभारी एवं अंचल अधिकारी, बिरनी का प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि के हिस्से पर द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा है तथा कुछ हिस्से पर मकान बना हुआ है। अतः नियमत को प्रथम पक्ष के विरुद्ध निरपेक्ष	

देश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	एवं द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त घोषित किया जाता है। यह आदेश नोटिस निर्गत करने की तिथि से साठ दिनों के लिये प्रभावी होगा। वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। [signature] [signature]	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2022.09.28 12:33:01 +05:30
Location: 192.168.43.238